कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष—स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (24/26, दिनांक 11.05.2026)

इंटरपोल मुख्यालय फ्रांस द्वारा रेड कार्नर नोटिस किया जारी

दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी में शामिल फरार आरोपी बांग्लादेशी नागरिक के विरुद्ध हुई ठोस कार्यवाही

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु लगातार समग्र प्रयास किये जा रहे है। इसी दिशा में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश के द्वारा माह जुलाई 2025 में कार्यवाही करते हुये मुरैना जिले से 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में एक अंतरष्ट्रीय स्तर का संगठित गिरोह शामिल होना पाया एवं अग्रिम विवेचना में यह भी पाया गया कि उक्त गिरोह द्वारा इन दुर्लभ जलीय वन्यजीवो को पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजे जाते है। जहॉ से इनको म्यांमार, थाईलेण्ड, मलेशिया व दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों में सप्लाई/ तस्करी की जाती है।

एसटीएसएफ ने देश के अन्य राज्यों में भी कार्यवाही कर इस प्रकरण में आज दिनांक तक कुल 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में माह मार्च 2026 में देश के सबसे बड़े जलीय वन्यजीव तस्कर तारकनाथ घोष निवासी, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल को कानपुर सेन्ट्रल रेल्वे स्टेशन (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध पूर्व में भी कई वन्यजीव अपराध प्रकरण दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ एवं वैज्ञानिक साक्ष्यो के आधार पर पाया गया की इस गिरोह के मुख्य सरगना **अल हज शफीकुल इस्लाम रहमान तालुकदार उर्फ़ रेमंड तालुकदार** है,जो कि बांग्लादेश का निवासी है, उसके द्वारा दक्षिण-एशिया के देशो से जलीय वन्यजीवों की तस्करी दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशो में की जाती है। एसटीएसएफ के द्वारा एकत्रित किये गए ठोस साक्ष्यो के आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेड, शिवपुरी न्यायलय द्वारा गिरफ़्तारी वारंट जारी किया। एसटीएसएफ ने केंद्र सरकार के माध्यम से इंटरपोल से संपर्क स्थापित किया साथ ही इंटरपोल की सहयता से अन्य देशो की सबंधित कानून प्रवर्तन संस्था से भी तालुकदार के सम्बन्ध में जानकरी एकत्रित की गई/जा रही। अथक प्रयास के बाद मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के अनुरोध पर तालुकदार के गिरोह के कई देशों में फैले नेटवर्क को देखते हुए दिनांक 29.04.2026 को **इंटरपोल** के द्वारा अल हज शफीकुल इस्लाम तालुकदार के विरूद्ध **रेड नोटिस** जारी किया है। उक्त कार्यवाही में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली का सतत सहयोग रहा।

इंटरपोल, जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (ICPO-Interpol) कहा जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो 195 से अधिक देशों ने मिलकर बनाया है। यह दुनिया भर में पुलिस एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इंटरपोल द्वारा 04 बार एसटीएसएफ के कार्यो की सराहना भी की जा चुकी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल